

# ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) मध्य प्रदेश नियम, 1973

## THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) MADHYA PRADESH RULES, 1973

अधि० क्रमांक 1997-1898-सोलह<sup>1</sup>—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, निम्न नियम बनाती है जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है; अर्थात्—

### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) मध्य प्रदेश नियम, 1973 कहलायेंगे।

(2) ये इनके “मध्य प्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (क्र० 37 सन् 1970) अभिप्रेत है;

(ख) “अपील प्राधिकारी” से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अपील प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ग) “परिषद” से धारा 4 के अधीन गठित ठेका श्रमिक राज्य सलाहकार परिषद अभिप्रेत है;

(घ) “अध्यक्ष” से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) “समिति” से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

### अध्याय 2

#### राज्य परिषद

3. परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) अध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(ख) श्रम आयुक्त पदेन;

(ग) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसे सरकार द्वारा अपने पदाधिकारियों में से नियुक्त किया जायेगा;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

1. म० प्र० राजपत्र, भाग IV (ग), दिनांक 11 मई, 1973 पर अंग्रेजी पाठ प्रकाशित।

- (ड) चार व्यक्ति, जिसमें एक वस्त्र उद्योग नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक बीड़ी उद्योग के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा दो ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे जिन पर कि अधिनियम लागू होता है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियोजकों तथा ठेकेदारों के ऐसे संगठनों, यदि कोई हों, से परामर्श कर, नियुक्त किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में मान्यता दी गई हो;
- (च) पांच व्यक्ति, जिनमें एक सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक बीड़ी उद्योग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा दो ऐसे ठेकेदारों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, जिन पर कि अधिनियम लागू होता है, जिन्हें सरकार द्वारा अपने-अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों के ऐसे संगठनों, यदि कोई हो, से परामर्श कर नियुक्त किया जायेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में मान्यता दी गई हो।

**4. पदावधि—**(1) परिषद का अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति की अधिसूचना "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रथम बार अधिसूचित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) नियम 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट परिषद का सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) नियम 3 के खण्ड (घ), (ड) तथा (च) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य उसकी नियुक्ति की अधिसूचना "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रथम बार अधिसूचित होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु यदि उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व ऐसे किसी सदस्य के उत्तरवर्ती की नियुक्ति "मध्य प्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित न की जाये, तो ऐसा सदस्य, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तरवर्ती की नियुक्ति "मध्य प्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित किए जाने तक ऐसे पद पर बना रहेगा।

(4) यदि कोई सदस्य परिषद की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो राज्य सरकार या वह निकाय, जिसने कि उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया हो, उसकी ओर से और ऐसे सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना द्वारा, जो उक्त परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित की गई हो, बैठक में सम्मिलित होने हेतु उसके स्थान पर किसी प्रतिस्थानी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसे प्रतिस्थानी सदस्य को उस बैठक के सम्बन्ध में सदस्य के समस्त अधिकार होंगे तथा बैठक में लिया गया विनिश्चय उक्त निकाय के लिये बन्धनकारी होगा।

**5. पदत्याग—**बोर्ड का ऐसा कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसका पद उस तारीख से रिक्त हो जायेगा जिस तारीख को कि ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाये।

**6. सदस्यता की समाप्ति—**यदि परिषद का ऐसा कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो अनुपस्थिति के लिये अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना परिषद की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न रहे तो वह परिषद का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा सदस्य परिषद की लगातार बैठकों में पर्याप्त कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता था तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि सदस्यता की ऐसी पद की समाप्ति प्रभावी नहीं होगी और ऐसा निर्देश दिये जाने पर ऐसा सदस्य परिषद का सदस्य बना रहेगा।

**7. सदस्यता के लिये अनर्हता—**(1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह माना जायेगा—

- (i) यदि वह विकृत मस्तिष्क का हो और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो; या
- (ii) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; या
- (iii) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो या ठहराया जाय जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता के अन्तर्गत आता हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अनर्हता उत्पन्न हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

**8. सदस्यता से हटाया जाना—**राज्य सरकार, परिषद के ऐसे किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी जिसमें उसके मतानुसार उन हितों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित है :

परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

**9. रिक्ति—**जब परिषद की सदस्यता में कोई स्थान रिक्त हो या रिक्त होने की संभावना हो तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसे रिक्त स्थान को उस श्रेणी के व्यक्तियों में से, जिनका कि पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य था, नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा, जिसके कि स्थान पर उसे नियुक्त किया गया हो।

**10. कर्मचारी वृन्द—**(1) (i) राज्य सरकार अपने किसी प्राधिकारी को परिषद का सचिव नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अन्य कर्मचारी वृन्द को जैसा कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगी ताकि परिषद अपना कार्य सुचारु रूप से चला सके।

(ii) कर्मचारी वृन्द को देय वेतन तथा भत्ते और ऐसे कर्मचारी वृन्द की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

(2) सचिव—

- (i) बोर्ड की बैठकें बुलाने में अध्यक्ष की सहायता करेगा;
- (ii) बैठकों में उपस्थित हो सकेगा, किन्तु उसे ऐसी बैठकों में मत देने का हक नहीं होगा;
- (iii) ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख रखेगा;
- (iv) बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

**11. सदस्यों के भत्ते—**(1) शासकीय सदस्य यात्रा भत्ता, उसके द्वारा शासकीय कर्तव्यों पर की गई यात्रा के लिये उस पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होगा तथा उसके वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(2) परिषद के शासकीय सदस्यों को, परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए ज्ञाप क्रमांक 153 तारीख 1 फरवरी, 1968 द्वारा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1540-चार-एन-2, दिनांक 2 जुलाई, 1958 में दिये गये या उसके बाद राज्य स्तरीय समितियों के अशासकीय सदस्य के लिये संशोधित किये गये मान के अनुसार यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

**12. कार्य का निष्पादन—**ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर, जिस पर परिषद द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो, बैठक में या यदि अध्यक्ष निर्देश दे तो प्रत्येक सदस्य को आवश्यक दस्तावेज उसकी राय के लिये भेज कर विचार किया जायेगा तथा प्रश्न का निपटारा बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा :

परन्तु बराबर बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस नियम के प्रयोजन के लिये "अध्यक्ष के अन्तर्गत किसी बैठक की अध्यक्षता करने हेतु नियम 13 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया अध्यक्ष आता है।

**13. बैठकें—**(1) परिषद की बैठक ऐसे स्थानों तथा समयों पर होंगी, जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) अध्यक्ष परिषद की ऐसी प्रत्येक बैठक की, जिसमें वह उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में परिषद के किसी सदस्य को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने हेतु नाम निर्दिष्ट करेगा।

**14. बैठकों की सूचना तथा कार्यसूची—**(1) साधारण तथा प्रस्तावित बैठक के लिये सदस्यों को दस दिन की सूचना दी जायेगी।

(2) ऐसे किसी विषय पर, जो बैठक की कार्यसूची में न हो, अध्यक्ष की अनुमति के बगैर उस पर बैठक में विचार नहीं किया जायेगा।

**15. गणपूर्ति—**किसी भी बैठक में किसी विषय पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों :

परन्तु यदि किसी बैठक में चार से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुये बैठक को किसी दूसरी तारीख के लिये स्थगित कर सकेगा तथा अन्य सदस्यों को इस आशय की सूचना देगा कि वह स्थगित बैठक में, चाहे उस बैठक में विहित गणपूर्ति हो या न हो, कार्य निबटाना चाहता है तथा इसके बाद उसके लिये यह उचित होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिये बिना स्थगित बैठक में कार्य को निपटा दे।

**16. परिषद की समितियां—**(1) (i) परिषद ऐसे प्रयोजनों के लिये ऐसी समितियां गठित कर सकेगा, जिन्हें कि वह उचित समझे।

(ii) समिति का गठन करते समय परिषद अपने किसी सदस्य को उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) समिति की बैठक उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये गये समयों तथा स्थानों पर होगी तथा समिति अपनी बैठक में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगी जो कि वह विनिश्चित करे।

(3) नियम 11 के उपबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये समिति के सदस्यों पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से कि परिषद के सदस्यों पर लागू होते हैं।

### अध्याय 3

#### रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्तिकरण

**17. स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की रीति—**(1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र प्ररूप "1" में तीन प्रतियों में उस क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जिस क्षेत्र में पंजीकृत कराया जाने वाला स्थापन स्थित हो।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र के साथ स्थापन के पंजीकरण के लिये फीस का भुगतान दर्शाने वाली कोषागार की रसीद संलग्न होगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र पंजीकरण प्राधिकारी को या तो व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा या पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकारी उन पर आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख दर्ज करने के बाद आवेदन को अपनी अभिस्वीकृति देगा।

**18. पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना—**(1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्ररूप "2" में होगा।

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात्—

(क) स्थापन का नाम तथा पता,

(ख) स्थापन में ठेका मजदूरों के रूप में नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या

(ग) स्थापन में किये जाने वाले कारोबार, व्यापार, उद्योग या व्यवसाय का स्वरूप;

(घ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो स्थापन में ठेका श्रमिकों के नियोजन की दृष्टि से संगत हों।

(3) पंजीकरण प्राधिकारी प्ररूप क्रमांक "3" में एक रजिस्टर रखेगा जिनमें उन स्थापनों के ब्यौरे होंगे, जिनके कि सम्बन्ध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गये हों।

(4) यदि, किसी स्थापन के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र के विनिर्दिष्ट ब्यौरे में कोई परिवर्तन हों, तो स्थापन का प्रमुख नियोजक पंजीकरण प्राधिकारी को, ऐसे परिवर्तन होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर परिवर्तन के ब्यौरे तथा करणों की सूचना देगा।

**19. वे परिस्थितियां, जिनमें पंजीकरण का आवेदन-पत्र नामंजूर किया जा सकेगा—**(1) यदि पंजीकरण के लिये प्रस्तुत कोई आवेदनपत्र सभी दृष्टि से पूर्ण न हो तो पंजीकरण प्राधिकारी प्रमुख नियोजक से उसमें ऐसे संशोधन करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसमें कि वह सभी दृष्टि से पूर्ण हो जाये।

(2) यदि प्रमुख नियोजक पंजीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन-पत्र में संशोधन करने के लिये पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर ऐसा करने में चूक करता है या ऐसा नहीं करता है तो पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण के आवेदन-पत्र को नामंजूर कर देगा।

**20. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन—**(1) नियम 18 के उपनियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर यदि पंजीकरण प्राधिकारी को इस बात से समाधान हो जाये कि स्थापन के पंजीकरण के लिये फीस के रूप में प्रमुख नियोजक द्वारा भुगतान की गई फीस से अधिक रकम भुगतान योग्य है तो वह ऐसे प्रमुख नियोजकों से उतनी रकम जमा करने की जो कि ऐसे प्रमुख नियोजक द्वारा पहले ही भुगतान की गई रकम को मिलाकर स्थापन के पंजीकरण के लिये भुगतान योग्य फीस की ऐसी अधिक रकम के बराबर हो जाये और ऐसी जमा की गई रकम की कोषागार रसीद प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) नियम 18 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर यदि पंजीकरण प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि प्ररूप "3" में रखे गये रजिस्टर में दर्ज किये गये स्थापन के ब्यौरों में कोई परिवर्तन हुआ है तो वह उक्त रजिस्टर में संशोधन करेगा तथा उसमें और प्ररूप "2" में के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में ऐसे परिवर्तन को अभिलिखित करेगा :

परन्तु ऐसे संशोधन का संशोधन से पूर्व किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही या अर्जित किसी अधिकार या उपगत किसी दायित्व या बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि पंजीकरण प्राधिकारी प्ररूप "3" में रखे गये रजिस्टर में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रमुख नियोजक द्वारा समुचित फीस जमा न कर दी गई हो।

**21. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन—**(1) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिये ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आवेदन-पत्र प्ररूप "4" में तीन प्रतियों में, उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके कि क्षेत्र में वह स्थापन, जिसका कि वह ठेकेदार है, स्थित हो।

(2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्ररूप "5" में प्रमुख नियोजक का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न होगा कि आवेदक को उसके स्थापन के सम्बन्ध में ठेकेदार के रूप में उसके द्वारा नियुक्त किया गया है और यह कि वह आवेदक द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में अधिनियम के समस्त उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का जहां तक कि वे उपबन्ध उसे प्रमुख नियोजक के रूप में उसे लागू होते हैं पालन किये जाने का जिम्मा लेता है।

(3) ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र या तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा या पंजीकृत डाक द्वारा उसे भेजा जायेगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख उस पर दर्ज करने के बाद आवेदक को अभिस्वीकृति देगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ एक कोषागार रसीद भी संलग्न होगी जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शायी गई हों—

- (i) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति की जमा राशि, और
- (ii) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान।

**22. ये बातें जिन पर अनुज्ञप्ति की मंजूरी देते समय या उसे नामंजूर करते समय ध्यान दिया जायेगा—**अनुज्ञप्ति मंजूर करते या नामंजूर करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा, अर्थात्—

(क) क्या आवेदक—

- (i) अवयस्क है, या
- (ii) विकृत मस्तिष्क का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है;
- (iii) अनुन्मुक्त दिवालिया है; या
- (iv) (आवेदन करने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय) ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता के अन्तर्गत आता हो;

(ख) क्या उस स्थापन में जिसके लिये आवेदक एक ठेकेदार है, इस विशिष्ट प्रकार के कार्य के बारे में ठेका श्रमिकों की समाप्ति के लिये उपयुक्त सरकार का कोई आदेश या कोई पंचाट या समझौता है,

(ग) क्या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के संबंध में कोई आदेश दिया गया है और यदि ऐसा हो तो क्या ऐसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत चुकी है,

(घ) क्या आवेदन-पत्र के लिये नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस जमा कर दी गई है, और

(ङ) क्या आवेदक द्वारा नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति जमा कर दी गई है।

**23. अनुज्ञप्ति की मंजूरी देने से इंकार करना—**(1) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक की पात्रता के संबंध में अपना समाधान करने के लिये ऐसी पूछताछ करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(2) (i) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह मत हो कि अनुज्ञप्ति न दी जाये तो वह आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद आवेदन-पत्र अस्वीकार करने का आदेश देगा।

(ii) आदेश में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख रहेगा तथा उसकी आवेदक को संसूचना दी जायेगी।

**24. प्रतिभूति—**(3) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के पूर्व ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिये, जिसके कि सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया गया है, रु० दो सौ की दर से संगणित राशि ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के समय निष्पादन तथा अधिनियम के उपबन्धों के या उसके बनाये गये नियमों के पालन के लिये जमा की जायेगी।

(2) प्रतिभूति निक्षेप की रकम का भुगतान स्थानीय खजाने में लेखा शीर्ष "क-जमा और अग्रिम ख-ब्याज वहन न करने वाले निक्षेप 843-सिविल निक्षेप-क-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन राजस्व निक्षेप।

**25. अनुज्ञप्ति का प्ररूप और निबन्धन तथा शर्तें—**(1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप '6' में होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन मंजूर की गई या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात् :—

- (i) अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी;
- (ii) स्थापन में ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;
- (iii) इन नियमों में उपबन्धित स्थिति के सिवाय यथास्थिति अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने या उसके नवीकरण के लिये भुगतान की गई फीस लौटाई नहीं जायेगी;
- (iv) ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें ऐसे नियोजन के लिये जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) लागू होता हो, उसके अधीन विहित दर से कम नहीं होगी और जहाँ ऐसी दरें करार समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई हों, वहां से इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी;
- (v) (क) ऐसे मामलों में जहाँ ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार वही या उसी प्रकार का काम करते हों जो कि स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हों वहाँ ठेकेदार के कर्मकारों के कार्य के घण्टे तथा सेवा की अन्य शर्तें, मजदूरी की दरें, छुट्टियाँ वही होंगी जो कि स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा वही या उसी प्रकार के काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हों :

परन्तु उस दशा में जहाँ काम के प्रकार के सम्बन्ध में असहमति हो, वहाँ उसे श्रम आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जायगा जिसका कि विनिश्चय अंतिम होगा।



**27. अनुज्ञप्ति की अवधि—**नियम 25 के अधीन मंजूर की गयी या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति का उसके मंजूर किये जाने या नवीकृत किये जाने की तारीख से 31 दिसम्बर को अवसान हो जाएगा।

**28. अनुज्ञप्ति का संशोधन—**(1) नियम 25 के अधीन जारी किये गये या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति को उचित तथा पर्याप्त कारणों से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया जायेगा।

(2) अनुज्ञप्ति में संशोधन करवाने का इच्छुक ठेकेदार अनुज्ञापन प्राधिकारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें संशोधन के स्वरूप और उसके कारणों का उल्लेख होगा।

(3) (i) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन स्वीकार कर ले तो वह आवेदक से अनुज्ञप्ति के लिये मूलतः दी गई फीस से अधिक ऐसी रकम, यदि कोई हो, जो अनुज्ञप्ति के संशोधित रूप से मूलतः दिये जाने पर देय होती है, की कोषागार रसीद प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(ii) आवेदक द्वारा अपेक्षित कोषागार रसीद प्रस्तुत कर दिये जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार अनुज्ञप्ति में संशोधन कर दिया जायेगा।

(4) यदि संशोधन के लिये प्रस्तुत आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाये तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अस्वीकृति के कारण को लेखबद्ध करेगा तथा उन्हें आवेदक को संसूचित करेगा।

**29. अनुज्ञप्ति का नवीकरण—**(1) प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र प्ररूप "7" में तीन प्रतियों में होगा तथा अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और यदि इस प्रकार आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाये तो अनुज्ञप्ति ऐसी तारीख तक नवीकृत मान ली जायेगी जिस तारीख को कि ऐसी नवीकृत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाये।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये प्रभारणीय फीस वही होगी जो कि उसके मंजूर किये जाने के लिये होती है :

परन्तु यदि नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त न हो तो ऐसे नवीकरण के लिये अनुज्ञप्ति के लिये साधारणतया देय फीस से 25 प्रतिशत अधिक फीस देय होगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे मामलों में जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि आवेदन-पत्र के प्रस्तुत किये जाने में हुआ विलम्ब ठेकेदार के नियन्त्रण से परे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण है, तो वह ऐसी अवधि फीस के भुगतान को, जैसी भी वह उचित समझे, कम कर सकेगा या उससे छूट दें सकेगा :

**30. पंजीकरण, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का प्रदान किया जाना—**यदि पूर्ववर्ती नियमों के अधीन दिया गया या नवीकृत पंजीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति गुम जाये, विरूपित हो जाये या अचानक नष्ट हो जाये तो पाँच रुपये की फीस के भुगतान पर उसकी द्वितीय प्रति प्रदान की जा सकेगी।

**31. प्रतिभूति की वापसी—**(1) (i) कोई ठेकेदार—

(क) अनुज्ञप्ति की कालावधि की समाप्ति पर यदि वह अनुज्ञप्ति के नवीकरण का इच्छुक न हो; या

(ख) उस कार्य के समापन पर जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई थी; अनुज्ञापन अधिकारी को उसके द्वारा नियम 24 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ii) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या प्रतिभूति या उसके किसी भाग को जब्त करने के लिये धारा 14 के अधीन कोई आदेश नहीं दिया गया है, तो वह आवेदक को प्रतिभूति की रकम लौटाने का निर्देश देगा।

(2) यदि प्रतिभूति के किसी भाग को जब्त करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश दिया गया हो तो जब्त की जाने वाली रकम प्रतिभूति की जमा में से काट ली जायेगी तथा बकाया राशि, यदि कोई हो, आवेदक को लौटा दी जायेगी।

(3) रकम की वापसी के लिये, दिया गया कोई भी आवेदन-पत्र जहां तक संभव हो, उसकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निबटा दिया जायेगा।

**32. पंजीकरण के अस्थायी प्रमाण पत्र तथा अस्थायी अनुज्ञप्ति की मंजूरी—**(1) जहां किसी स्थापन में ऐसी परिस्थितियां उद्भूत हो जाए, जिसमें की ठेका श्रमिकों का नियोजन तुरन्त किया जाना अपेक्षित हो और ऐसा नियोजन पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिये किया जाना अनुमानित हो, वहां यथास्थिति, स्थापन का प्रमुख नियोजक या ठेकेदार, उस पंजीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसकी कि उस क्षेत्र पर अधिकारिता हो जिसमें कि स्थापन स्थित है, पंजीकरण के अस्थायी प्रमाण-पत्र या अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) पंजीकरण के ऐसे अस्थायी प्रमाण-पत्र या ऐसी अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र क्रमशः प्ररूप '8' तथा '10' में, तीन प्रतियों में होगा तथा उसके साथ उपयुक्त फीस का भुगतान दर्शाने वाली खजाना रसीद या रेखांकित पोस्टल आर्डर होगा जो कि यथास्थिति उपयुक्त पंजीकरण या अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में लिखा गया हो और अनुज्ञप्ति के मामले में उपयुक्त रकम भी होगी।

(3) सभी तरह से पूर्णतः भरा गया आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और आवेदक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र पर या अन्यथा यह समाधान हो जाय कि वह कार्य जिसके बारे में आवेदन किया गया है, पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर समाप्त हो जायेगा, और उसका स्वरूप इस प्रकार का था कि वह तुरन्त ही किया जा सकता या तो यथास्थिति, पंजीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी, पन्द्रह दिन से अनधिक की कालावधि के लिये यथास्थिति, प्ररूप '9' में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र या प्ररूप '11' में अनुज्ञप्ति तुरन्त जारी करेगा।

(4) जहां पंजीकरण का प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति मंजूर न की जाय, वहां यथास्थिति, पंजीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

(5) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने पर वह स्थापन उन ठेका श्रमिकों को जिनके सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र दिया गया था, स्थापन में नियोजित नहीं करेगा।

(6) उपनियम (3) के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क नीचे विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार होगा—

यदि किसी भी दिन ठेका पर नियोजित किये जाने वाले प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या—

(क)	19 से अधिक किन्तु 50 से अधिक न हो....	....	....	50 रुपया
(ख)	50 से अधिक किन्तु 200 से अधिक न हो....	....	....	200 रुपया
(ग)	200 से अधिक ....	....	....	375 रुपया

(7) नियम 23 तथा 24 के उपबंध क्रमशः उपनियम (4) तथा उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी से इंकार करने या अनुज्ञप्ति मंजूर करने को लागू होंगे।

#### अध्याय 4

### अपील एवं प्रक्रिया

33. (1) (i) धारा 15 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत की जाने वाली प्रत्येक अपील अपीलकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी तथा अपीलीय अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत की जाएगी या पंजीकृत डाक से उसे प्रेषित की जाएगी।

(ii) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसकी अपील की जा रही है तथा रुपये 10 की ट्रेजरी रसीद संलग्न की जाएगी।

(2) ज्ञापन में संक्षेप में तथा पृथक् शीर्षों के अधीन इस आदेश के विरुद्ध अपील के आधार दिये जायेंगे, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है।

34. (1) यदि अपील के ज्ञापन में नियम 33 के उपनियम (2) के उपबन्धों का पालन किया गया तो उसे अस्वीकार किया जा सकेगा या अपील प्राधिकारी द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर उसमें संशोधन किए जाने के प्रयोजन से उसे अपीलकर्ता को लौटाया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा ज्ञापन अस्वीकार कर दिये जाने की स्थिति में वह ऐसी अस्वीकृति के कारण अभिलिखित करेगा तथा आदेश अपीलकर्ता को संसूचित करेगा।

(3) अपील या ज्ञापन नियमानुकूल होने की स्थिति में अपील प्राधिकारी अपील को स्वीकार करेगा उस पर उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख दर्ज करेगा और अपील को उस पुस्तक में दर्ज करेगा, जो कि इसी प्रयोजन के लिये रखी गई है तथा जिसे अपीलों का रजिस्टर कहा गया है।

(4) (i) यदि अपील स्वीकार कर ली जाए तो अपील प्राधिकारी अपील की सूचना यथास्थिति, ऐसे पंजीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके कि आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को देगा तथा पंजीकरण प्राधिकारी का अनुज्ञापन अधिकारी मामले के अभिलेख अपील प्राधिकारी को भेजेगा।

(ii) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के लिये उसके समक्ष नियत तारीख तथा समय पर उपस्थित होने की सूचना भेजेगा, जो कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट हो।

35. यदि अपीलकर्ता सुनवाई के लिये नियत तारीख को उपस्थित न हो तो, अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के आधार पर अपील खारिज कर सकेगा।

36. (i) यदि नियम 35 के अधीन कोई अपील खारिज कर दी जाय तो अपीलकर्ता, अपील पुनः ग्रहण किये जाने के लिये अपील प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा और जब सिद्ध हो जाए कि अपील की सुनवाई के समय किसी संसूचित कारणवश वह उपस्थित नहीं हो सका था, तो अपील प्राधिकारी उस अपील को उसके मूल क्रमांक पर पुनः स्थापित कर देगा।

(ii) ऐसा आवेदन, जब तक कि अपील प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से समय न बढ़ा दे, अपील खारिज किये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

37. (1) यदि अपीलकर्ता, अपील की सुनवाई के समय उपस्थित हो, तो अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता तथा इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा समनित किये गये किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई प्रारम्भ करेगा तथा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी उसकी या तो पुष्टि करते हुए उसे प्रत्यावर्तित करते हुए या उसे परिवर्तित करते हुए अपील पर निर्णय देगा।

(2) अपील प्राधिकारी के निर्णय में निर्धारण सम्बन्धी मुद्दों, उन पर किये गये विनिश्चयों और उसके कारणों का उल्लेख रहेगा।

(3) आदेश, अपीलकर्ता को संसूचित किया जाएगा तथा उसकी प्रति पंजीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके कि आदेश के विरुद्ध अपील की गई है।

38. **शुल्क का भुगतान**—जब तक कि इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित न हो इन नियमों के अधीन भुगतान किया जाने वाला समस्त शुल्क स्थानीय कोषागार में लेखा शीर्ष "087-श्रम और रोजगार (क) श्रम विधि के अधीन प्राप्ति, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन शुल्क" के अधीन जमा किया जाएगा तथा उसकी रसीद अभिप्राप्त की जाएगी जो; यथास्थिति आवेदन-पत्र या अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

39. **प्रतियां**—पंजीकरण प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या अपीली प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की प्रति के लिये दो रुपये की फीस का भुगतान कर तथा आवेदन पत्र में आदेश की तारीख तथा अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए सम्बन्धित प्राधिकारी से अभिप्राप्त की जा सकती है।

## अध्याय 5

### ठेका श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य

40. (1) अधिनियम की धारा 18 तथा 19 के अधीन दी जाने वाली सुविधाएँ, अर्थात् स्वास्थ्य-कर पेय जल की पर्याप्त पूर्ति, पर्याप्त संख्या में संडास तथा पेशाबघर, मुँह हाथ धोने की सुविधाएँ तथा प्रथमोपचार सुविधाएँ, ठेकेदार द्वारा विद्यमान स्थापनों के मामले में इन नियमों के प्रवर्तन से सात दिन के भीतर तथा नए स्थापनों के मामले में उनमें ठेका श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ से सात दिन के भीतर प्रदान की जायेगी।

(2) यदि ठेकेदार, द्वारा उपनियम (1) में उल्लिखित कोई भी सुविधाओं की व्यवस्था विहित अवधि के भीतर न की जाय तो ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था प्रमुख नियोजक द्वारा उक्त उपनियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति से सात दिन के भीतर की जायेगी।

41. **विश्राम-कक्ष**— (1) ऐसे प्रत्येक स्थान में, जहां ठेका श्रमिकों से उस स्थापन, जिस पर कि यह अधिनियम लागू होता है, के कार्य के सम्बन्ध में रात्रि में ठहरना अपेक्षित हो, और जिसमें ठेका श्रमिकों को तीन मास या इससे अधिक समय तक नियोजित रखने की सम्भावना हो, वहां ठेकेदार विद्यमान स्थापनों के मामले में, इन नियमों के लागू होने से पन्द्रह दिन के भीतर तथा नवीन स्थापनों के मामले में ठेका श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर विश्राम-कक्ष या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा।

(2) यदि ठेकेदार द्वारा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सुविधा, उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन बढ़ाई गई समय-सीमा के अध्याधीन रहते हुये विहित अवधि के भीतर न दी जाये तो ऐसी सुविधा प्रमुख नियोजक द्वारा उक्त नियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर दी जायेगी।

(क) जहाँ महिलायें नियोजित हों, वहाँ प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक संडास होगा।

(ख) जहाँ पुरुष नियोजित हों, वहाँ प्रति 25 पुरुषों के लिये कम से कम एक संडास होगा :

परन्तु जहाँ महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या 100 से अधिक हो, वहाँ प्रथम 100 तक यथास्थिति प्रति 25 पुरुषों या महिलाओं के लिए एक संडास तथा उसके बाद प्रत्येक 50 कर्मकारों के लिए एक संडास पर्याप्त होगा।

52. प्रत्येक संडास पर छत होगी और उन्हें इस प्रकार विभाजित किया जायेगा ताकि आड़ बनी रहे और उनमें समुचित द्वार तथा सांकले लगी होगी।

53. (i) जहाँ महिला तथा पुरुष दोनों कर्मकार नियोजित हों वहाँ संडास या पेशाब घर के प्रत्येक खंड के बाहर अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में यथास्थिति "केवल पुरुषों के लिये" या "केवल महिलाओं के लिये" सूचना प्रदर्शित की जायेगी।

(ii) सूचना पर यथास्थिति, पुरुष या महिला की आकृति भी बनी होगी।

54. एक समय में नियोजित कर्मकारों में से 50 पुरुषों के लिये कम से कम एक तथा महिलाओं के लिये एक पेशाब घर होगा :

परन्तु जहाँ यथास्थिति, पुरुष या महिला कर्मकारों की संख्या 500 से अधिक हो वहाँ प्रथम 500 कर्मकारों तक प्रत्येक 50 पुरुषों या महिलाओं के लिये एक पेशाब घर और उसके बाद के 100 कर्मकारों या उसके भाग के लिये एक पेशाब घर पर्याप्त होगा।

55. (1) संडास तथा पेशाब घर सुविधाजनक रूप से इस प्रकार स्थित होंगे कि स्थापन के कर्मकार किसी भी समय उनका उपयोग कर सकें।

(2) (i) संडास तथा पेशाब घरों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होगी तथा उन्हें सदैव स्वच्छ तथा आरोग्यकारी स्थिति में बनाये रखा जायेगा।

(ii) फलश, मल-प्रवाह पद्धति के अतिरिक्त अन्य संडास तथा पेशाब घर लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

56. जल का प्रदाय नल द्वारा या अन्य तरीके से इस प्रकार किया जाएगा कि संडास तथा पेशाब घरों में या उनके निकट वह आसानी से उपलब्ध हो सके।

57. प्रक्षालन सुविधाएं—(1) अधिनियम की व्याप्ति में आने वाले प्रत्येक स्थापन में प्रक्षालन के लिये पर्याप्त तथा समुचित सुविधायें प्रदान की जायेंगी तथा वहाँ नियोजित ठेका श्रमिकों के उपयोग के लिये उपलब्ध करवाई जायेगी तथा उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जायेगा।

(2) पुरुष तथा महिला कर्मकारों के उपयोग के लिये पृथक् तथा पर्याप्त आड़ की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(3) ऐसी सुविधायें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिये तथा उन्हें स्वच्छ और आरोग्यप्रद स्थिति में बनाये रखा जायेगा।

58. प्राथमिक उपचार सुविधायें—अधिनियम की व्याप्ति में आने वाले प्रत्येक स्थापन में साधारण तथा नियोजित 150 ठेका श्रमिकों या उसके किसी भाग के लिये कम से कम एक

प्रथमोपचार पेटी के हिसाब से प्रथमोपचार पेटियों की इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें बनाये रखा जायेगा जिससे कि वे सम्पूर्ण कार्य में सहज ही उपलब्ध हो सकें।

59. (1) प्रथमोपचार पेटी पर विशिष्ट रूप से सफेद पृष्ठभूमि पर लाल + चिन्ह लगाया जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित उपकरण रहेंगे, अर्थात्—

(अ) जिन स्थापनों में नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या पचास से अधिक न हो प्रत्येक प्रथमोपचार पेटी में निम्नलिखित उपकरण रहेंगे—

- (i) 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियां;
- (ii) 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां;
- (iii) 3 बड़ी विसंक्रमित पट्टियां;
- (iv) 3 बड़ी विसंक्रमित जलन पट्टियां;
- (v) 1 बोतल (30 मि० ली०) जिसमें आयोडीन 2 प्रतिशत अल्कोहल घोल हो;
- (vi) 1 बोतल (30 मि० ली०) जिसमें अमोनियम कार्बोनेट हो तथा उसके लेबल पर उसको दिये जाने की मात्रा और तरीका दर्शाया गया हो;
- (vii) एक सर्प दंश धुरीका (लेन्सेट);
- (viii) एक बोतल (30 ग्राम) जिसमें पोटेशियम परमेगनेट के रखें हों;
- (ix) एक कैची;
- (x) महानिरीक्षक, कारखाना परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथमोपचार पुस्तिका की एक प्रति;
- (xi) 100 एस्परीन गोलियां (प्रति 5 ग्राम) की एक शीशी;
- (xii) जले के लिये मरहम (आइन्टमेन्ट)
- (xiii) उपयुक्त सर्जिकल जीवाशु नाशक घोल की एक शीशी।

(ब) जिन स्थापनों में नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या पचास से अधिक हो प्रत्येक प्रथमोपचार पेटी में निम्नलिखित उपकरण होंगे—

- (i) 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियां;
- (ii) 6 मध्य माध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां;
- (iii) 6 बड़ी विसंक्रमित पट्टियां;
- (iv) 6 बड़ी विसंक्रमित जलन पट्टियां;
- (v) विसंक्रमित रूई के 6 (15 ग्राम के पैकेट)
- (vi) एक बोतल (60 मि० ली०) जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिशत अल्कोहलीय घोल हो;
- (vii) 1 बोतल (60 मि० ली०) जिसमें अमोनियम कार्बोनेट हो तथा उसके लेबल पर उसके दिये जाने की मात्रा और तरीका दर्शाया गया हो;

- (viii) चिपकने वाले प्लास्टर (एड्हेसिव प्लास्टर) का एक रोल;
- (ix) सर्प दंश धुरिका (लेन्सेट);
- (x) 1 बोतल (60 ग्राम) जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के रवे हों;
- (xi) एक कैची;
- (xii) महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथमोपचार पुस्तिका की एक प्रति;
- (xiii) 100 एस्परीन की गोलियां (प्रति गोली 5 ग्रा०) की एक शीशी;
- (xiv) जले के लिये मरहम (आइन्टमेन्ट)
- (xv) उपयुक्त सर्जिकल जीवाणुनाशक घोल की एक शीशी।

(2) जब भी आवश्यक हो, उपकरणों की तत्काल प्रतिपूर्ति की उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

60. निर्धारित वस्तुओं को छोड़ अन्य कोई भी चीजें प्रथमोपचार पेटी में नहीं रखी जायेगी।

61. प्रथमोपचार पेटी एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखी जायेगी, जो स्थापन के कार्य के समय में हमेशा सहज उपलब्ध रहेगा।

62. जिन स्थापनों में ठेका श्रमिकों की संख्या 150 या अधिक हो वहाँ प्रथमोपचार पेटी का प्रभारी व्यक्ति प्रथमोपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति होगा।

## अध्याय 6

### मजदूरी

63. मजदूरी— ठेकेदार ऐसी मजदूरी अवधियाँ नियत करेगा, जिनके कि सम्बन्ध में मजदूरी देय होगी।

64. कोई भी मजदूरी अवधि एक माह से अधिक की नहीं होगी।

65. किसी स्थापन में या किसी ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान, जहाँ एक हजार से अन्यून व्यक्ति नियोजित किये गये हों, वहाँ मजदूरी की उस कालावधि के, जिसके कि सम्बन्ध में मजदूरी देय हो, अंतिम दिन के पश्चात् सातवें दिन की समाप्ति के पूर्व और अन्य मामलों में दस दिन के समाप्त होने के पूर्व किया जायेगा।

66. जहाँ ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से किसी कर्मकार की सेवायें समाप्त कर दी जाएं वहाँ उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान उस दिन से जिस दिन उसकी सेवायें समाप्त की जाएं दूसरे कार्य दिवस समाप्ति के पूर्व कर दिया जायेगा।

67. मजदूरी के समस्त भुगतान कार्य दिवस को, कार्य परिसरों पर तथा कार्य काल के दौरान और ऐसी तारीख को किये जायेंगे, जिनकी सूचना पहले ही दे दी गई हो और मजदूरी अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्य पूरा हो जाने की स्थिति में, अन्तिम भुगतान अंतिम कार्य दिवस से 48 घण्टे के भीतर कर दिया जायेगा।

68. प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी का भुगतान कर्मकार को सीधे या उस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जायेगा।

69. समस्त मजदूरी का भुगतान प्रचलित सिक्कों या मुद्रा या दोनों में किया जायेगा।

70. मजदूरी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट या मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (क्रमांक 4 सन् 1936) के अधीन अनुमत कटौतियों को छोड़े अन्य कोई कटौती किये बगैर किया जायेगा।

71. ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय दर्शाने वाली सूचना प्रदर्शित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति प्रमुख नियोजक को भेजी जायेगी तथा उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

72. प्रमुख नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी का वितरण करने के स्थान तथा समय पर उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि वहां उपस्थित रहता है और ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करे कि ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में मजदूरी वितरित की जाती है।

73. प्रमुख नियोजक का प्राधिकृत प्रतिनिधि यथास्थिति मजदूरी के रजिस्टर या मजदूरी एवं उपस्थिति नामावली में प्रत्येक प्रविष्टियों के सामने अपने आद्याक्षर करेगा और प्रविष्टियों के अन्त में अपने हस्ताक्षर के अधीन निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा—

“प्रमाणित किया जाता है कि कालम क्रमांक ..... में दर्शायी गई रकम का सम्बन्धित कर्मकार को मेरी उपस्थिति में..... को .. ..... भुगतान किया गया है”

### अध्याय 7

### रजिस्टर तथा अभिलेख और आंकड़ों का संग्रहण

74. ठेकेदारों का रजिस्टर—प्रत्येक प्रमुख नियोजक प्रत्येक पंजीकृत स्थापन के सम्बन्ध में प्ररूप “12” में ठेकेदारों का एक रजिस्टर रखेगा।

75. नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर—प्रत्येक ठेकेदार ऐसे प्रत्येक पंजीकृत स्थापन के सम्बन्ध में जहाँ वह ठेका श्रमिक नियोजित करना है प्ररूप “13” में एक रजिस्टर रखेगा।

76. नियोजन पत्रक—(i) प्रत्येक ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को नियोजन से तीन दिन के भीतर प्ररूप “14” में एक नियोजन पत्रक देगा;

(ii) पत्रक (कार्ड) अद्यतन रखा जायेगा तथा ब्यौरों में होने वाला कोई भी परिवर्तन उसमें दर्ज किया जायेगा।

77. सेवा प्रमाणपत्र—किसी भी कारणवश कर्मकार की सेवा समाप्त कर दिये जाने पर ठेकेदार उस कर्मकार को जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, प्ररूप “15” में एक सेवा प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

78. उपस्थिति नामावली, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर तथा अतिकाल रजिस्टर—ऐसी स्थापनों के सम्बन्ध में, जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (क्र० 4 सन् 1936) तथा उसके अधीन बनाये गये नियम अथवा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (33 सन् 1948) या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा शासित हो, इन अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियोजक के रूप में ठेकेदार द्वारा बनाये रखे जाने वाले निम्नलिखित रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों को इन नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख के रूप में माना जायेगा—

(क) उपस्थिति नामावली;

- (ख) मजदूरी रजिस्टर;
- (ग) कटौतियों का रजिस्टर;
- (घ) अतिकालिक रजिस्टर;
- (ङ) जुर्माना रजिस्टर
- (च) अग्रिम रजिस्टर।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत न आने वाले स्थापनों के संबंध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक ठेकेदार प्ररूप "16" तथा प्ररूप "17" में क्रमशः उपस्थिति नामावली तथा मजदूरी रजिस्टर बनाये रखेगा :

परन्तु मजदूरी अवधि एक पखवाड़ा या इससे कम होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्ररूप "18" में संयुक्त उपस्थिति नामावली तथा मजदूरी रजिस्टर रखा जायगा।

- (ख) जहां मजदूरी कालावधि एक सप्ताह या उससे अधिक हो, वहां ठेकेदार मजदूरी के वितरण से कम से कम एक दिन पूर्व कर्मकारों को प्ररूप "19" में मजदूरी पर्चियाँ देगा।

- (ग) यथास्थिति, मजदूरी रजिस्टर या मजदूरी तथा उपस्थिति नामावली पर प्रत्येक कर्मकार से हस्ताक्षर करवाये जाएंगे या अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा और उसमें की गई प्रविष्टियों को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षरों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा और मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसे नियम 73 के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सम्यक रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

- (घ) कटौतियां जुर्माने तथा अग्रिमों का रजिस्टर—प्रत्येक ठेकेदार क्षति या हानि के लिये कटौतियों का रजिस्टर, जुर्माने का रजिस्टर तथा अग्रिम का रजिस्टर क्रमशः प्ररूप "20", "21" तथा "22" में रखेगा।

- (ङ) अतिकाल रजिस्टर—प्रत्येक ठेकेदार द्वारा प्ररूप "23" में एक अतिकाल रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें अतिकाल किये गये कार्य के घण्टों की संख्या और भुगतान की गई मजदूरी, यदि कोई हो, अभिलिखित की जायेगी।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी अन्य अधिनियम का या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किन्हीं अन्य विधियों या विनियमों के उपबन्धों का पालन करने हेतु या ऐसे मामलों में जहां अच्छे प्रशासन हेतु मशीन द्वारा बनाये गये वेतन-पत्रक उपयोग में लाये जाते हों, कोई ठेकेदार दोहरे काम से बचने के लिये कोई संयुक्त या वैकल्पिक प्ररूप का उपयोग करना चाहता हो वहाँ इन नियमों के अधीन विहित किये गये प्ररूपों से किसी भी प्ररूप के बदले उपयुक्त प्ररूप या प्ररूपों का उपयोग श्रम आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा।

79. प्रत्येक ठेकेदार श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्ररूप में अंग्रेजी और हिन्दी में और ऐसी भाषा में जो अधिकांश कर्मकारों द्वारा बोली जाती हो, अधिनियम और नियमों का सार प्रदर्शित करेगा।

(1) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख अद्यतन रखा जायेगा और अन्यथा उपबन्धित न होने पर कार्यालय या कार्यस्थल के परिसर के भीतर निकटवर्ती सुविधाजनक भवन या तीन किलोमीटर परिधि के भीतर किसी स्थान में रखे जायेंगे।

(2) ऐसे रजिस्टर अंग्रेजी या हिन्दी में सुवाच्य रूप से बनाये रखे जायेंगे।

(3) ऐसे रजिस्टर और अन्य अभिलेख उसमें की गई अन्तिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेण्डर वर्षों की अवधि के लिये मूल रूप में सुरक्षित रखे जायेंगे।

(4) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन रखे गये समस्त रजिस्टर, अभिलेख और सूचनाएँ मांग की जाने पर निरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) जहाँ किसी मजदूरी की कालावधि के दौरान कोई कटौती या जुर्माना अधिरोपित न किया गया हो या कोई अतिकालिक कार्य न किया गया हो, वहाँ क्रमशः प्ररूप "20", "21" और "23" में रखे गये सम्बन्धित रजिस्ट्रों में मजदूरी की कालावधि के अंत में रजिस्टर में आरपार कुछ नहीं प्रविष्टि की जायेगी और संक्षेप में वह मजदूरी की कालावधि भी उपदर्शित की जायेगी जिसके कि सम्बन्ध में वहाँ कुछ नहीं प्रविष्टि है।

**80.** (1) (i) ऐसी सूचनाएँ जिनमें मजदूरी की दरें, कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधियों मजदूरों के भुगतान की तारीखें अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों का नाम तथा पते और भुगतान न की गई मजदूरी के भुगतान की तारीख दर्शाई गई हो यथास्थिति प्रमुख नियोजक या ठेकेदार द्वारा स्थापन और कार्यस्थल के किसी सहजगोचर स्थान पर अंग्रेजी और हिन्दी तथा अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की जायेंगी।

(ii) सूचनायें स्पष्ट तथा सुवाच्य स्थिति में ठीक से रखी जायेंगी।

(2) सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जायेगी और जैसे ही उसमें कोई परिवर्तन हो उसकी संसूचना उसे तत्काल दी जायेगी।

**81.** (1) प्रत्येक ठेकेदार प्ररूप "24" में (दो प्रतियों में) एक अर्ध वार्षिक विवरण भेजेगा ताकि वह सम्बद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अर्ध वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन दिन पूर्व पहुँच जाये।

**टिप्पणी—** इस नियम के प्रयोजन के लिये अधिवर्ष से अभिप्रेत है—

“प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 6 मास की कालावधि।

(2) पंजीकृत स्थापन का प्रत्येक प्रमुख नियोजक प्ररूप "25" में (दो प्रतियों में) विवरण भेजेगा ताकि वह सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी के पास उस वर्ष की जिससे कि वह सम्बद्ध हो, समाप्ति के पश्चात् आने वाली 15 फरवरी के पूर्व पहुँच जाये।

**82.** (1) परिषद, समिति श्रमायुक्त या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी भी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ होगी कि वह लिखित आदेश देकर किसी भी ठेकेदार या प्रमुख नियोजक से ठेका श्रमिकों से सम्बद्ध कोई भी जानकारी या आंकड़े किसी भी समय मंगवा सकेगा।

(2) जिस किसी व्यक्ति से उपनियम (1) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा वह ऐसा करने के लिये विधिक रूप से आबद्ध होगा।

#### प्ररूप 1

[नियम 17 (1) देखिये]

संविदा श्रमिक नियोजित करने वाले स्थापनों के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति .....

2. स्थापन का डाक पता .....
  3. प्रमुख नियोजक का पूरा नाम और पता  
(व्यक्ति की दशा में पिता का नाम दें) .....
  4. प्रबन्धक का या स्थापन के पर्यवेक्षण और  
नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का  
पूरा नाम और पता .....
  5. स्थापन में किये जा रहे कार्य का स्वरूप .....
  6. ठेकेदारों और ठेका श्रमिकों की विशिष्टियां .....
- (क) ठेकेदारों के नाम और पते .....
  - (ख) जिस कार्य में ठेका श्रमिकों को  
नियोजित किया गया है नियोजित  
किया जाना है उसका स्वरूप .....
  - (ग) प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी  
भी दिन नियोजित किये जाने वाले  
संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या .....
  - (घ) प्रत्येक ठेकेदार के अधीन संविदा  
श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने  
की प्राक्कलित तारीख .....
  - (ङ) संलग्न खजाना रसीद की  
विशिष्टियां ..... (खजाने का नाम, रकम और तारीख)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मुख्य नियोजक  
मुद्रा और स्टाम्प

आवेदन-पत्र की प्राप्ति की  
तारीख

पंजीकरण प्राधिकारी का  
कार्यालय

**प्ररूप 2**

[नियम 18 (1) देखिये]

**पंजीकरण का प्रमाण-पत्र**

क्रमांक.....

तारीख.....

मध्य प्रदेश सरकार

**पंजीकरण प्राधिकारी का कार्यालय**

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निम्नलिखित विशिष्टियों वाला पंजीकरण का एक प्रमाण-पत्र..... को एतद्द्वारा अनुदत्त किया जाता है :

1. स्थापन में किये जा रहे कार्य का स्वरूप .....
2. ठेकेदार के नाम और पते .....
3. जिस कार्य में ठेका श्रमिकों को  
नियोजित किया गया है या किया  
जाना है की प्रकृति उसका स्वरूप .....
4. प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी  
दिन नियोजित किये जाने वाले संविदा  
श्रमिकों की अधिकतम संख्या .....
5. संविदा श्रमिक के नियोजन से  
सम्बन्धित अन्य विशिष्टियां .....

पंजीकरण प्राधिकारी की मुद्रा सहित हस्ताक्षर

### प्ररूप 3

[नियम 18 (3) देखिये]

#### स्थापनों का रजिस्टर

क्रमांक	पंजीकरण क्रमांक और तारीख	पंजीकृत स्थापन का नाम और पता	प्रमुख नियोजक का नाम और उसका पता	स्थापन में किये जा रहे कारबार, व्यवसाय, उद्योग विनिर्माण या उपजीविका का प्रकार	सीधे नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

#### ठेकेदार और ठेका श्रमिकों की विशिष्टियां

ठेकेदार का नाम और पता	जिस कार्य में ठेका श्रमिक नियोजित किये गये हैं या नियोजित किये जाने वाले हैं उसका स्वरूप	किसी दिन नियोजित किये जाने वाले ठेका श्रमिक की अधिकतम संख्या	संविदा श्रमिकों के नियोजन की संभाव्य अवधि	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

### प्ररूप 4

[नियम 21 (1) देखिये]

#### अनुज्ञप्ति के आवेदन-पत्र

1. ठेकेदार का नाम और पता (व्यक्तियों की दशा में, उसके पिता के नाम सहित)

.....

2. जन्म की तारीख और आयु (व्यक्तियों की दशा में) :
3. उस स्थापन के ब्यौरे जहां ठेका श्रमिक नियोजित किये जाने हैं—
  - (क) स्थापन का नाम और पता :
  - (ख) स्थापन में किये जा रहे कारबार, व्यापार, उद्योग, विनिर्माण या व्यवसाय का प्रकार :
  - (ग) अधिनियम के अधीन स्थापन के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र का क्रमांक और उसकी तारीख :
  - (घ) प्रमुख नियोजक का नाम और पता :

ह्य4. ठेका श्रमिकों के ब्यौरे—

- (क) जिस काम में ठेका श्रमिकों को स्थापन में नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है उसका स्वरूप :
  - (ख) प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि (प्रारंभ करने और समाप्त करने की प्रस्तावित तारीख के ब्यौरे दीजिये) :
  - (ग) कार्य-स्थल पर ठेकेदार के अभिकर्ता या प्रबंधक का नाम और पता :
  - (घ) स्थापन में किसी तारीख को संविदा श्रमिकों के रूप में नियोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या :
5. क्या ठेकेदार को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था। यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिये
  6. क्या ठेकेदार के विरुद्ध किसी पूर्ववर्ती ठेका की बाबत अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित करने या निलंबित करने या प्रतिभूति निक्षेपों का समपहरण करने का कोई आदेश दिया गया था। यदि हाँ, तो आदेश की तारीख दीजिये।
  7. क्या ठेकेदार ने गत पांच वर्षों में किसी अन्य स्थापन में काम किया है। यदि हाँ तो, प्रमुख नियोजक, स्थापनों और कार्य के प्रकार का ब्यौरा दीजिये।
  8. क्या प्ररूप पांच में प्रमुख नियोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
  9. अनुज्ञप्ति फीस की दी गई रकम-खजाना चालान का क्रमांक और उसकी तारीख।
  10. प्रतिभूति निक्षेप की रकम-खजाना चालान का क्रमांक और उसकी तारीख।

#### घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख.....

(ठेकेदार)

**टिप्पणी**— आवेदन-पत्र के साथ समुचित रकम की खजाना रसीद और प्रमुख नियोजक का प्ररूप 5 में प्रमाण पत्र होना चाहिये।

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)

फीस/प्रतिभूति निक्षेप के चालान के साथ आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख .....

.....  
अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

**प्ररूप 5**

[नियम 21 (2) देखिये]

**प्रमुख नियोजक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्ररूप**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक को अपने स्थापन में ठेकेदार के रूप में रखा है। मैं अपने स्थापन में आवेदक द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन के बारे में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) मध्य प्रदेश नियम, 1973 के सभी उपबन्धों से, जहां तक वे उपबन्ध मुझ पर लागू होते हैं, आबद्ध होने का वचन देता हूँ।

स्थान.....

प्रमुख नियोजक के हस्ताक्षर

तारीख.....

स्थापन का नाम और पता

**प्ररूप 6**

[नियम 25 (1) देखिए]

मध्य प्रदेश सरकार

**अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यालय**

अनुज्ञप्ति क्रमांक.....तारीख.....दी गई फीस  
.....रु०.....

**अनुज्ञप्ति**

एतद्द्वारा..... को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के अधीन अनुज्ञप्ति, उपाबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन दी जाती है।

अनुज्ञप्ति..... तक प्रवृत्त रहेगी।

.....

तारीख.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
और मुद्रा**नवीकरण**

[नियम 29]

नवीकरण की तारीख	नवीकरण के लिए दी गई फीस	समाप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

अनुज्ञापन प्राधिकारी के  
हस्ताक्षर और मुद्रा**उपाबन्ध**

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है—

1. अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय होगी।

2. स्थापन में ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन ..... से अधिक नहीं होगी।

3. नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय यथास्थिति अनुज्ञप्ति देने के लिये या नवीकरण के दी गई फीस अप्रतिदेय होगी।

4. ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में विहित दरों से जहां वे लागू होती हैं कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, परिनिर्धारण या पंचाट द्वारा नियत की गई हों वहां वे उन नियत दरों से कम नहीं होंगी।

5. उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का या उसके समरूप काम करते हैं जैसा कि स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा नियोजित किये गये कर्मकार करते हैं वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश-दिन काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वहीं होंगी जो स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा उसी प्रकार के या उसके समरूप काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं। परन्तु काम के प्रकार की बाबत किसी असहमति के होने की दशा में उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश-दिन, काम के घण्टे और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस निमित्त श्रम आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।

7. प्रत्येक ऐसे स्थापन में जहां ठेका श्रमिकों के रूप में सामान्यतः 20 या अधिक स्त्रियाँ नियोजित की जाती हैं वहाँ उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिये उचित विस्तार के 2 कमरों की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे कमरों में से एक को बच्चों के लिये खेल के कमरे के रूप में और दूसरे को बच्चों के लिये शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। ठेकेदार इस प्रयोजन के लिये खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खेल-खिलौनों और शयन-कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाईयों और बिस्तरों की व्यवस्था करेगा। शिशु कक्ष के निर्माण और अनुरक्षण का स्तर वह होगा जो इस निमित्त श्रम आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

8. यदि कर्मकारों की संख्या या काम की शर्तों में कोई परिवर्तन हो तो अनुज्ञप्तिधारी उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

#### प्ररूप 7

[नियम 29 (2) देखिये]

#### अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिये आवेदन

1. ठेकेदार का नाम और पता।
2. अनुज्ञप्ति का क्रमांक और उसकी तारीख।
3. पूर्वतन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख।
4. क्या ठेकेदार की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहत किया गया था।
5. संलग्न खजाना रसीद का क्रमांक और उसकी तारीख।

स्थान.....

.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)

खजाना रसीद का क्रमांक और उसकी तारीख के साथ आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख.....

.....  
अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

## प्ररूप 8

[नियम 32 (2) देखिये]

संविदा श्रमिक नियोजित करने वाले स्थापनों के अस्थायी पंजीकरण  
के लिये आवेदन-पत्र

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति।
2. स्थापन का डाक पता।
3. प्रमुख नियोजक का पूरा नाम और पता।  
(व्यक्तियों की दशा में पिता का नाम दें)
4. प्रबन्धक का या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
5. स्थापन में किये जा रहे कार्य का स्वरूप।
6. संविदा श्रमिकों की विशिष्टियां—  
(क) जिस काम में ठेका श्रमिकों को नियोजित किया जाना है उसके स्वरूप और अति आवश्यकता के कारण।  
(ख) प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या।  
(ग) संविदा श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने की प्राक्कलित तारीख।
7. संलग्न खजाना रसीद या खास पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां।

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

.....  
प्रमुख नियोजक  
(मुद्रा और स्टाम्प)

खजाना रसीद या खास पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन-पत्र की प्राप्ति का समय और तारीख.....

.....  
पंजीकरण प्राधिकारी का कार्यालय

## प्ररूप 9

[नियम 32 (3) देखिये]

समाप्ति की तारीख.....

## पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र

क्रमांक.....

तारीख.....

मध्य प्रदेश सरकार

## पंजीकरण प्राधिकारी का कार्यालय

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निम्नलिखित विशिष्टियों वाला पंजीकरण का एक

अस्थायी प्रमाण-पत्र..... को एतद्द्वारा अनुदत्त किया जाता है जो..... से ..... तक विधिमान्य होगा—

1. स्थापन में किये जा रहे काम का स्वरूप।
2. जिस काम में ठेका श्रमिकों को नियोजित किया जाना है उसका स्वरूप।
3. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या।
4. ठेका श्रमिकों के नियोजन से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियाँ।

.....  
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के मुद्रा सहित  
हस्ताक्षर

### प्ररूप 10

[नियम 32 (2) देखिये]

#### अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र

1. ठेकेदार का नाम और पता (जिसमें व्यक्तियों की दशा में उसके पिता का नाम भी सम्मिलित हो)।

2. जन्म की तारीख और आयु (व्यक्तियों की दशा में)।

3. उस स्थापन की विशिष्टियाँ जहाँ ठेका श्रमिक नियोजित किये जाने हैं—

(क) स्थापन का नाम और पता :

(ख) स्थापन में किये जा रहे कारबार व्यवसाय उद्योग विनिर्माण या उप-जीविका का प्रकार।

(ग) प्रमुख नियोजक का नाम और पता।

4. ठेका श्रमिकों की विशिष्टियाँ—

(क) जिस काम में ठेका श्रमिकों को स्थापन में नियोजित किया जाना है उसका स्वरूप।

(ख) प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि (प्रारम्भ करने, और समाप्त करने की प्रस्तावित तारीख की विशिष्टियाँ दीजिये)।

(ग) कार्यस्थल पर ठेकेदार के एजेंट या प्रबन्धक का नाम और पता

(घ) स्थापन में किसी दिन नियोजन के लिय प्रस्तावित ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या।

5. क्या ठेकेदार को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी अपराध के सिद्धदोष ठहराया गया था? यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिये।

6. क्या ठेकेदार के विरुद्ध किसी पूर्ववर्ती ठेका की बाबत अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत करने या निलम्बित करने या प्रतिभूति निक्षेपों का समपहरण करने का कोई आदेश दिया गया था यदि हाँ तो ऐसे आदेश की तारीख दीजिये।

7. क्या ठेकेदार ने गत पाँच वर्षों में किसी अन्य स्थापन में काम किया है? यदि हाँ, तो प्रमुख नियोजक, स्थापनों और काम के स्वरूप का ब्यौरा दीजिये।

8. अनुज्ञप्ति फीस की दी गई रकम खजाना चालान या क्रास पोस्टल आर्डर का क्रमांक और उसकी तारीख।

9. प्रतिभूति निक्षेप की रकम खजाना चालान या क्रास पोस्टल आर्डर का क्रमांक और उसकी तारीख।

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान.....

.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर (ठेकेदार)

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)

फीस/प्रतिभूति निक्षेप के चालान के साथ आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख .....

.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

#### प्ररूप 11

[नियम 32 (3) देखिये]

मध्य प्रदेश सरकार

अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यालय.....

अनुज्ञप्ति क्रमांक.....तारीख.....दी गई फीस रु०.....

तारीख.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक ..... को समाप्त

#### अस्थायी अनुज्ञप्ति

एतद्वारा..... को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के अधीन अनुज्ञप्ति उपाबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन, अनुदत्त की जाती है।

अनुज्ञप्ति..... तक प्रवृत्त रहेगी।

तारीख.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

#### उपाबन्ध

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है—

1. अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय होगी।
2. स्थापन में ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन..... से अधिक नहीं होगी।
3. नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिये दी गई फीस अप्रतिदेय होगी।
4. ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में विहित दरों से, जहां वे लागू होती हों कम नहीं होंगी, और जहाँ दरें करार परिनिर्धारण या पंचाट द्वारा नियत की गई हों वहाँ वे उन नियत दरों से कम नहीं होंगी।

5. उन मामलों में जहाँ ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का या उसके समरूप काम करते हैं जैसा कि स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किये गये कर्मकार करते हैं वहाँ ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वहीं होंगी जो स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा उसी प्रकार के या उसके समरूप काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं :  
परन्तु काम के प्रकार की बाबत किसी असहमति के होने की दशा में उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
6. अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, काम के घंटे और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस निर्मित श्रम आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।

**प्ररूप 12**

[नियम 74 देखिये]

**ठेकेदार का रजिस्टर**

1. प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....
2. स्थापन का नाम और पता.....

क्रमांक	ठेकेदार का नाम और पता	संविदा कार्य का स्वरूप	संविदा कार्य की अवस्थिति	संविदा की अवधि से तक	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**प्ररूप 13**

[नियम 75 देखिये]

**ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों का रजिस्टर**

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थान का नाम और पता जिसमें/ जिसके अधीन ठेका पर कार्य किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	कामगार का नाम और कुलनाम	आयु और लिंग	पिता/पति का नाम	नियोजन की प्रकृति/पदनाम	कामगार के घर का स्थायी पता (ग्राम और तहसील और जिला)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थानीय पता	नियोजन के प्रारंभ होने की तारीख	कामगार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान	नियोजन की समाप्ति की तारीख	समाप्ति के कारण	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## प्ररूप 14

[नियम 76 देखिये]

## नियोजन-पत्रक

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन ठेका पर काम किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

1. कामगार का नाम.....
2. नियोजित कर्मकार की रजिस्टर में क्रम संख्या.....
3. नियोजन की प्रकृति/पदनाम.....
4. मजदूरी की दर (मात्रानुपाती काम की दशा में एकक की विशिष्टियाँ सहित) .....
5. मजदूरी की अवधि .....
6. नियोजन धृति.....
7. टिप्पणी .....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

## प्ररूप 15

[नियम 77 देखिये]

## सेवा प्रमाण-पत्र

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके

अधीन ठेका पर कार्य किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

कामगार का नाम और पता.....

आयु या जन्म की तारीख.....

पहचान चिन्ह.....

पिता/पति का नाम.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	कुल अवधि जिसके लिए नियोजित किया गया।		किए गए कार्य का स्वरूप	मजदूरी की दर (मात्रानुपाती काम की दशा में एकक की विशिष्टियाँ सहित)	टिप्पणियां
	से	तक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**प्ररूप 16**

[नियम 78 (2) (क) देखिये]

**मस्टर रोल**

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थान का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन

ठेका पर काम किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

.....मास के लिये

क्रमांक	कामगार का नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	तारीख	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(1) (2) (3)	

**प्ररूप 17**

[नियम 78 (2) (क) देखिये]

**मजदूरी का रजिस्टर**

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/

जिसके अधीन ठेका पर काम किया जा

रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	कामगार का नाम	कामगारों के रजिस्टर में क्रमांक	पदनाम किये गए कार्य की स्वरूप	किये गए कार्य दिवसों की संख्या	किये गए काम के एकक	मजदूरी की दैनिक दर मात्रानु-पाती दर	अर्जित मजदूरी की रकम		
							आधारिक मजदूरी	महंगाई भत्ता	अति-कालिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अन्य नकद संदाय (संदायों की प्रकृति उपदर्शित की जाए)	कुल जोड़	कटौतियां यदि कोई हो/स्वरूप उपदर्शित/कीजिये	संदत शुद्ध रकम	कामगार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

### प्ररूप 18

[नियम 78 (2) (क) देखिए]

### मजदूरी एवं मस्टर रोल के रजिस्टर का प्ररूप

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

जिसके अधीन ठेका पर काम किया जा रहा है.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

मजदूरी की अवधि : साप्ताहिक/पाक्षिक...

.....से.....तक

क्रमांक	कामगारों के रजिस्टर में क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम/कार्य का स्वरूप	दैनिक हाजिरी किये गए एकक	कुल हाजिरी किए गए काम के 15 एकक	मजदूरी की दैनिक दर मात्रा-नुपाती दर	अर्जित मजदूरी की रकम		
							आधारिक मजदूरी	महंगाई भत्ता	अति-कालिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अन्य नकद संदाय (संदायों की प्रकृति उपदर्शित की जाए)	कुल जोड़	कटौतियां यदि कोई हो/(प्रकृति उपदर्शित/कीजिये)	संदत शुद्ध रकम	कामगार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

## प्ररूप 19

[नियम 78 (2) (ख) देखिए]

## मजदूरी-पर्ची

ठेकेदार का नाम और पता.....

कामगार का नाम और उसके पिता/पति का नाम.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

को समाप्त होने वाले सप्ताह/पक्ष/मास के लिए.....

1. काम किए गए दिनों की संख्या.....
2. मात्रानुपाती दर वाले कर्मचारों की दशा.....  
में किए गए एककों की संख्या.....
3. दैनिक मजदूरी की दर/मात्रानुपाती दर.....
4. अतिकालिक मजदूरी की रकम.....
5. सकल देय मजदूरी.....
6. कटौतियां यदि कोई हों.....
7. संदत मजदूरी की शुद्ध रकम.....

ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर

## प्ररूप 20

[नियम 78 (2) (घ) देखिए]

## नुकसान या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर

ढेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थान का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन ढेका पर काम किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	कामगार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम नियोजन की प्रकृति	नुकसान या हानि की विशिष्टियां	नुकसान या हानि की तारीख	कामगार ने कटौती के विरुद्ध कारण बताया था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था	अधिरोपित कटौती की रकम	किस्तों की संख्या	वसूली की तारीख	प्रथम किस्त	अंतिम किस्त	टिप्पणी
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)

## प्ररूप 21

[नियम 78 (2) (घ) देखिए]

## जुर्माने का रजिस्टर

ढेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थान का नाम और पता जिसमें/जिसके

अधीन ढेका पर काम किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	कामगार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम नियोजन की प्रकृति	कार्य लोप जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया	अपराध की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

क्या कर्मकार ने कटौती के विरुद्ध कारण बताया था	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था	मजदूरी की अवधियां और देय मजदूरी	अधिरोपित जुर्माने की रकम	वह तारीख जिसको जुर्माना वसूली किया गया	टिप्पणियाँ
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

**प्ररूप 22**

[नियम 78 (2) (घ) देखिए]

**अग्रिमों का रजिस्टर**

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके

अधीन ठेका पर काम किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन की प्रकृति/पदनाम	मजदूरी की अवधि और देय मजदूरी	दिए गए अग्रिम की तारीख और रकम	वे प्रयोजन जिसके/जिनके लिए अग्रिम दिया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उन किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का प्रतिसंदाय किया जाना है	प्रतिसंदत्त प्रत्येक किस्त की तारीख और रकम	वह तारीख जिसको अंतिम किस्त का संदाय किया गया	टिप्पणियाँ
(8)	(9)	(10)	(11)

**प्ररूप 23**

[नियम 78 (2) (ड) देखिए]

**अंतिकालिक रजिस्टर**

ठेकेदार का नाम और पता.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके

अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है.....

कार्य का स्वरूप और अवस्थिति.....

प्रमुख नियोजक का नाम और पता.....

क्रमांक	कामगार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदनाम /नियोजन की प्रकृति	वे तारीखें जिनको अतिकालिक कार्य किया गया था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
किया गया कुल अतिकालिक या मात्रानपाती की दशा में उत्पादन	मजदूरी की प्रसामान्य दर	मजदूरी की अतिकालिक दर	अतिकालिक उपार्जन	वह तारीख जिसको अतिकालिक मजदूरी का संदाय किया गया	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## प्ररूप 24

[नियम 82 (1) देखिये]

ठेकेदार द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजी जाने वाली विवरणी

..... को समाप्त होने वाला अर्ध वर्ष

1. ठेकेदार का नाम और पता
2. स्थापन का नाम और पता
3. प्रमुख नियोजक का नाम और पता
4. संविदा की अवधि.....से .....तक
5. अर्ध वर्ष के दौरान उन दिनों की संख्या जिनको—  
(क) प्रमुख नियोजक के स्थापन में काम किया गया था  
(ख) ठेकेदार के स्थापन में काम किया गया था
6. अर्ध वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या।

पुरुष	स्त्रियाँ	बच्चे	कुल जोड़
.....	.....	.....	.....

7. (i) प्रतिदिन काम के घण्टे और विस्तृति .....
- (ii) (क) क्या साप्ताहिक अवकाश दिन रखा जाता है .....
- (ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए संदाय किया गया था .....
- (iii) अतिकालिक काम के श्रम के घण्टों की संख्या .....

8. निम्नलिखित के द्वारा किए गए श्रम दिनों की संख्या.....
- |       |           |       |          |
|-------|-----------|-------|----------|
| पुरुष | स्त्रियाँ | बच्चे | कुल जोड़ |
| ..... | .....     | ..... | .....    |
9. संदत्त मजदूरी की रकम—
- |       |           |       |          |
|-------|-----------|-------|----------|
| पुरुष | स्त्रियाँ | बच्चे | कुल जोड़ |
| ..... | .....     | ..... | .....    |
10. मजदूरी से कटौतियों की रकम, यदि कोई हो—
- |       |           |       |          |
|-------|-----------|-------|----------|
| पुरुष | स्त्रियाँ | बच्चे | कुल जोड़ |
| ..... | .....     | ..... | .....    |
11. क्या निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है—

- (i) कैंटीन,
- (ii) विश्राम-कक्ष,
- (iii) पेयजल,
- (iv) शिशु-कक्ष,
- (v) प्राथमिक उपचार।

(यदि उत्तर हां है तो प्रदत्त मानकों को संक्षेप में कथित करें)

स्थान.....

तारीख.....

.....  
ठेकेदार के हस्ताक्षर

### प्ररूप 25

[नियम 82 (2) देखिये]

पंजीकरण प्राधिकारी को भेजी जाने वाली प्रमुख नियोजक की वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बर..... को समाप्त होने वाला वर्ष

1. प्रमुख नियोजक का पूरा नाम और पता।
2. स्थापन का नाम—
  - (क) जिला,
  - (ख) डाक का पता
  - (ग) सक्रिय/उद्योग/किये जा रहे कार्य का स्वरूप।
3. प्रबन्धक का या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम।
4. उन ठेकेदारों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान स्थान में कार्य किया (उपबन्ध में ब्यौरे दीजिये)
5. उस काम/सक्रिया की प्रकृति जिस पर ठेका श्रमिकों को नियोजित किया गया था।

6. वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनको ठेका श्रमिक नियोजित किये गए थे।
7. वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा काम किये गये श्रम-दिनों की कुल संख्या।
8. वर्ष के दौरान किसी भी दिन सीधे नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
9. वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनको सीधे नियोजित श्रमिक नियोजित किये गये थे।
10. सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा काम किये गये श्रम दिनों की कुल संख्या।
11. स्थापना के प्रबन्ध-तन्त्र, उसकी अवस्थिति या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को पंजीकरण के लिये आवेदन में दी गई किन्हीं अन्य विशिष्टियों में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो, तारीखें उपदर्शित करते हुये बताइये।

.....  
प्रमुख नियोजक

स्थान.....

तारीख.....

**प्ररूप 25 का उपाबन्ध**

ठेकेदार का नाम और पता	संविदा की अवधि	कार्य का स्वरूप	प्रत्येक द्वारा नियोजित कर्मकारों अधिकतम संख्या	काम किये गए दिनों की संख्या	काम किये गए श्रमदिनों की संख्या	
	से	तक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)